

पत्र क्र 3

11/5/18

पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पर कारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 20/6/18 को केम्प खेडली अंशदान को पेश हो।

28

30-6-18

पत्रावली लोक अदालत केम्प खेडली अंशदान में पेश हुई, वहील प्रार्थी एवं पेशेकार सरकार उपर। वहील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत को दौहराते हुए मूलकाद को पुनः नम्बर 4 पर लेने का निवेदन किया, पेशेकार सरकार ने वहील प्रार्थी के कथने का गिरोध किया। कौर कथन किने कि कथिवक्त्रों की हजताल के दौरान प्रार्थी/वादी को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए था। प्रार्थी/वादी वाद को चलाने में कस्यि नहीं रखना चाहता इसलिए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
हुकम
ने

निम्न पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ। मलः
प्रापत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र के
साथ धारा 5 लिमिटेशन मय शपथ पत्र प्रस्तुत
किया हुआ है। प्रार्थी की उक्त गलती क्षमायोग्य
होने से, प्रार्थना पत्र रेव्यूरेडेशन स्वीकार किया
जाया है। मूलवाद रजिस्ट्रार के दर्ज रजिस्टर हो,
पक्षकारानु को नोटिस जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर, मूलवाद के साथ संलग्न
रहे।